

30.11.2019

पत्रावली प्रस्तुत हुयी । पुकार पर परिवादी के विद्वान अधिवक्ता श्री अनुराग श्रीवास्तव उपस्थित । परिवादी बोर्ड की ओर से अधिकार पत्र दाखिल किये गये है एक के द्वारा श्री उमेश कुमार शर्मा मुख्य महाप्रबन्धक भारतीय दिवाला एवं शोधन अक्षमता बोर्ड को परिवाद दाखिल करने के लिए अधिकृत किया गया है एवं दूसरे अधिकारपत्र द्वारा श्री अनुराग श्रीवास्तव अधिवक्ता को पब्लिक प्रासीक्यूटर के तौर पर उपरोक्त परिवाद के लिए अधिकृत किया गया है ।

उपरोक्त परिवाद श्री उमेश कुमार शर्मा द्वारा कंपोरेट के रूप में दाखिल किया गया है एवं विद्वान अधिवक्ता श्री अनुराग श्रीवास्तव श्री परिवाद में कार्यवाही के लिए पब्लिक प्रासीक्यूटरके रूप में अधिकृत है इसलिए श्री उमेश कुमार शर्मा को अग्रिम आदेश तक दिवाला एवं शोधन अक्षमता संहिता 2016 की धारा 236(4) के अनुसार व्यक्तिगत हाजिरी से छूट दी जाती है ।

संहिता की धारा 236(2) के तहत बोर्ड को वर्तमान शिकायत को दर्ज कराने का अधिकार है एवं धारा 236(1) के अनुसार कारपोरेट मामलों के मंत्रालय की अधिसूचना संख्या एसओ. 1710(ई)दिनांक 23.04.18 के अनुसरण में उपरोक्त परिवाद इस न्यायालय के क्षेत्राधिकार में है । अधिसूचना दिनांकित 23.04.18 की प्रति संलग्नक एच के रूप में दाखिल की गयी है ।

श्री उमेश कुमार शर्मा द्वारा बयान अन्तर्गत धारा 200 द0प्र0सं0 के सम्बन्ध में अपना शपथपत्र प्रस्तुत किया गया है ।

परिवादी भारतीय दिवाला एवं शोधन अक्षमता बोर्ड जिरो आगे बार्ड कहा गया है, द्वारा विपक्षी कम्पनी/विपक्षी संख्या-1 उसके निदेशकगण/विपक्षी संख्या-2 से 5 एवं उसके प्रबन्धक/विपक्षी संख्या-6 के विरुद्ध अभियोजन चाहा गया है । जिसके लिए यह आरोप लगाया गया है कि विपक्षी/आरोपीगण विपक्षी कम्पनी कुशल इंटरनेशनल लि0 के मुख्य प्रबंधकीय अधिकारी है जो विपक्षी कम्पनी के रोजमर्रा के कामकाज के लिए जिम्मेदार है ।

कारपोरेट देनदार और उसके निदेशकों को परिवाद में इनसॉल्वेंसी एण्ड बैंकरप्सी कोड, 2016 की धारा 70/236 के अनुसार अभियुक्त के रूप में पार्टी बनाया गया है ।

अभियुक्तगण को तलब किये जाने के सम्बन्ध में कार्य सुनी ।

परिवाद एवं परिवादी द्वारा दाखिल किये गये दस्तावेजों के परीक्षण से यह परिलक्षित होता है कि जम्मू और कश्मीर बैंक लि0 (वित्तीय लेनदार) द्वारा कोड की धारा 7 के तहत एक कॉर्पोरेट इन्सॉल्वेंसी रिजॉल्यूशन प्रक्रिया (इसके बाद CIRP के रूप में संदर्भित) कॉर्पोरेट ऋणदाता कुशल इंटरनेशनल लिमिटेड के खिलाफ शुरू किया गया है जिसमें श्री पंकज खेतान को माननीय नेशनल कम्पनी ला ट्रिब्यूनल इलाहाबाद (जिसे आगे एन0सी0एल0टी0) कहा गया है द्वारा पारित आदेश दिनांकित 8.05.18 द्वारा अंतरिम समाधान वृत्तिक (अंतरिम रिजॉल्यूशन प्रोफेशनल)(आई आर पी)नियुक्त किया गया एवं निदेशकों प्रमोटरों या कॉर्पोरेट ऋण प्रबंधन से



जुडे किसी अन्य व्यक्ति को धारा 19 के तहत निर्धारित आईआरपी के साथ सहयोग करने और संहिता की धारा 20 के प्रावधान के तहत अपने कार्यों के निर्वहन के लिए निर्देशित किया गया है । माननीय एन.सी.एल.टी. द्वारा पारित आदेश दिनांकित 08.05.18 की प्रति संलग्नक बी के रूप में दाखिल की गयी है ।

कोड की धारा 17(1) के अनुसार निदेशक पण्डल को निलम्बित कर दिया जाएगा एवं कारपोरेट देनदार के मामलों के प्रबन्धन की शक्ति रिजॉल्यूशन प्रोफेशनल में निहित हो जाएगी और बोर्ड के अधिकारों का प्रयोग रिजॉल्यूशन प्रोफेशनल द्वारा किया जाएगा । कारपोरेट देनदार के अधिकारी और प्रबंधक उसे रिपोर्ट करेंगे और कारपोरेट देनदार के ऐरो दस्तावेजों और रिकार्ड तक पहुँच प्रदान करेंगे जो कि रिजाल्यूशन प्रोफेशनल द्वारा आवश्यक हो सकते हैं और कारपोरेट देनदार के खातों को बनाए रखने वाले वित्तीय संस्थान रिजाल्यूशन प्रोफेशनल के निर्देशों पर कार्य करेंगे और कारपोरेट देनदार से सम्बन्धित सभी जानकारी उसे प्रस्तुत करेगा । विपक्षीय ने कुछ दस्तावेजों की अपूर्ति की है, लेकिन अन्य आवश्यक दस्तावेजों को नहीं सौंपा है जैसा कि रिजॉल्यूशन प्रोफेशनल द्वारा अनुरोध किया गया है ।

परिवादी के अनुसार माननीय एनसीएलटी ने अपने आदेश दिनांकित 04.07.18 द्वारा अभियुक्त कर्मों 2,3,4,5 और 6 को रिजॉल्यूशन प्रोफेशनल के साथ पूर्ण सहयोग के लिए आदेशित किया जिसकी प्रति संलग्नक सी के रूप में दाखिल की गयी है । माननीय एन.सी.एल.टी. ने अपने आदेश दिनांक 16.07.18 द्वारा विपक्षी संख्या-6 को रिजॉल्यूशन प्रोफेशनल के साथ पूर्ण सहयोग के लिए आदेशित किया जिस आदेश की प्रति संलग्नक डी के रूप में दाखिल की गयी है ।

परिवादी के अनुसार माननीय एन.सी.एल.टी ने 27.07.18 को आदेश दिया कि अगर शेष दस्तावेज कारपोरेट देनदार के निलम्बित निदेशकों द्वारा नहीं सौंपे जाते हैं तो रिजाल्यूशन प्रोफेशनल आवेदन दायर कर सकते हैं । आदेश दिनांकित 27.07.18 की प्रति संलग्नक ई के रूप में दाखिल है ।

परिवादी के अनुसार अपने पत्र दिनांक 19.11.18 द्वारा रिजाल्यूशन प्रोफेशनल ने परिवादी को सूचित किया कि आरोपीगण ने सी.आई.आर.पी. के दौरान उसके साथ सहयोग नहीं किया जिसकी एक प्रति संलग्नक संख्या एफ के रूप में दाखिल है ।

परिवादी के अनुसार आरोपियों/विपक्षीय ने सीआईआरपी के दौरान कोड के भाग दो के अध्याय सात में दण्डनीय अपराध के रूप में निम्नलिखित अपराध कारित किये हैं ।

सी.आई.आर.पी. की प्रारंभ तिथि से आरोपी बार-बार असहयोग कर रहे हैं और अपने कर्तव्यों के निर्वहन में रिजाल्यूशन प्रोफेशनल को अपेक्षित जानकारी प्रदान करने में विफल रहे हैं ।

सी.आई.आर.पी. के दौरान विपक्षीय ने दुराचार किया है, जिससे उन्हें धारा 70(1) (क) के तहत मुकदमा चलाने के लिए उत्तरदायी बनाया जा सकता है ।

सीआईआरपी के दौरान अभियुक्तों ने कारपोरेट देनदार की सभी संपत्तियों को जो

14

उनके नियंत्रण में है रिजॉल्यूशन प्रोफेशनल तक पहुँचाने में असफल रहने का दुराचार (मिस कन्डक्ट) किया है, जिससे उनके विरुद्ध कोड की धारा 70(1) (बी) के तहत मुकदमा चलाया जाना चाहिए ।

अभियुक्तों ने सीआईआरपी के दौरान सारी किताबें एवं दस्तावेज रिजॉल्यूशन प्रोफेशनल को मुहैया नहीं करायी जो कारपोरेट देनदार से सम्बन्धित थीं और विपक्षीगण के कब्जे में थी । इस प्रकार विपक्षीगण दुराचार किया है जिससे उनके विरुद्ध संहिता की धारा 70(1)(सी) के तहत मुकदमा चलाया जाना चाहिए ।

अभियुक्त/विपक्षीगण कारपोरेट देनदार के मामलों का प्रबन्धन करने के लिए अतिरिक्त रिजॉल्यूशन प्रोफेशनल/रिजॉल्यूशनल प्रोफेशनल को सहायता और सहयोग देने में विफल रहे हैं।

माननीय एन.सी.एल.टी. द्वारा पारित आदेशों के परिशीलन से यह स्पष्ट है कि विपक्षीगण द्वारा जानबूझकर रिजॉल्यूशन प्रोफेशनल के द्वारा मांगे गये कागजात उपलब्ध नहीं कराये गये और बार-बार आदेश पारित होने के बावजूद विपक्षीगण/अभियुक्तों द्वारा रिजॉल्यूशन प्रोफेशनल (समाधान वृत्तिक) के साथ सहयोग नहीं किया गया जिस कारण उनके विरुद्ध दिवाला एवं शोधन अक्षमता संहिता 2016 की धारा 70(1) ए.बी.सी. 235ए, 236 के तहत प्रथम दृष्टया अपराध कारित होना परिलक्षित होता है एवं इस परिस्थिति में उक्त संहिता के प्रावधान के अनुसार अगर देनदारी कम्पनी एवं उसके निदेशक या अधिकारीगण जानबूझकर रिजॉल्यूशन प्रोफेशनल (समाधान वृत्तिक) के साथ सहयोग न करके और उसके द्वारा मांगे गये कागजात उपलब्ध न कराके रिजॉल्यूशन प्रक्रिया में बाधा उत्पन्न करते हैं तो ऐसे निदेशक या अधिकारीगण दिवाला एवं शोधन अक्षमता संहिता 2016 की धारा 70(1) ए.बी.सी. 235ए, 236 के तहत दण्डनीय है जिसमें कम से कम तीन वर्ष का कारावास जो अधिकतम पाँच वर्ष तक हो सकता है या उसके साथ जुर्माना (जो कम से एक लाख रुपये का हो सकता है) और अधिकतम एक करोड़ रुपये तक हो सकता है या कारावास एवं जुर्माना दोनों की सजा दी जा सकती है ।

उपरोक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों से स्पष्ट है कि रिकार्ड पर पर्याप्त साक्ष्य उपलब्ध है जिससे परिलक्षित होता है कि विपक्षी कम्पनी कुशल इंटरनेशनल लिमिटेड एवं इसके निदेशक एवं प्रबंधक करणवीर सिंह, श्रीमती शशि सिरोही, कुशलपाल, सुरिन्दर नामपाल एवं आशीष पराशर जिन्हें परिवाद में विपक्षी संख्या-1 से 6 बनाया गया है द्वारा जानबूझकर माननीय एन.सी.एल.टी. के आदेशों का पालन नहीं किया गया है और रिजॉल्यूशन प्रोफेशनल (समाधान वृत्तिक) के द्वारा मांगे गये दस्तावेज उपलब्ध नहीं कराये गये एवं उनके साथ सहयोग नहीं किया गया है जिसका संज्ञान माननीय एन.सी.एल.टी. द्वारा भी लिया गया है जिस आधार पर प्रथम दृष्टया विपक्षीगण के विरुद्ध उनके द्वारा धारा 70(1) ए.बी.सी. 235ए, 236 दिवाला एवं शोधन अक्षमता संहिता 2016 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराधों के लिए मुकदमा चलाया जाना उचित है ।

आदेश

विपक्षीगण कुशल इंटरनेशनल लिमिटेड के निदेशक एवं प्रबंधक करणवीर सिंह पुत्र

LA

समर सिंह, श्रीमती शशि सिरौही पुत्री समर सिंह, निदेशक कुशल इण्टर नेशनल लि०, कुशल
पाल पुत्र हरी सिंह निदेशक कुशल इण्टर नेशनल लि०, सुरिन्दर नागपाल पुत्र संतपाल नागपाल
निदेशक कुशल इण्टर नेशनल लि० एवं आशीष पराशर पुत्र श्री बी.एन. पराशर प्रबन्धक कुशल
इण्टर नेशनल लि० को कम्पनी अधिनियम दीवारा एवं शोधन अधिनियम संहिता की धारा
70(1) ए.बी.सी. एवं धारा 235ए, 236 में विचारण हेतु जरिये जमानतीय अधिपत्र 10,000/-रुपये
दिनांक 20.1.2020 हेतु तलब किया है । पत्रावली वास्ते हाजिरी नियत दिनांक 20.1.2020 को
पेश हो ।

[Signature]
20.1.19

अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कोर्ट संख्या--22,

कानपुर नगर ।


मिना कर्मा - Arun Bhasin
अपराध संख्या 650

TRUE COPY
ATTESTED

HEAD COPYIST
CIVIL COPYING OFFICE
KANPUR NAGAR



36
18.12.2019



- गणपति मठ भिमल-गणेश मठ को २५ फरवरी
कोट नं० - ०२/१९ अमृतसर

~~2-सीरीज~~ 115 कुशल इष्ट ने नमस्ते

आदेश दिनांक 30/11/11 को जारी किया गया है



केवल नकल की फीस के लिए

आवश्यक स्टाम्प सहित प्रार्थना पत्र देने की तारीख Date of which application is made for copy accompanied by the requisite stamps	नोटिस बोर्ड पर नकल तैयार होने की सूचना की तारीख Date of posting notice on notice board	नकल वापस देने की तारीख Date of delivery of copy	नकल वापस देने वाले अधिकारी के हस्ताक्षर Signature of official delivering copy
36 18/11/11			

अनुराग जीवास्व
२३०